

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी (राज०)

वाद-पत्र संख्या :- 62 / 2006

दायर दिनांक: 27.11.2006

GCMS NO:- 2006/00005

घोषासीन अधिकारी :- शत्रुघ्न सिंह गुर्जर

1. तीजू आ० जगन्नाथ पत्नी भंवरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम सुवानिया तहसील नैनवाँ जिला बून्दी। (मृतक)
1/1. रामस्वरूप आ० भंवरलाल जाति धाकड निवासी बाछोला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
1/2. लाड बाई पुत्री तीजू पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी कल्याणपुरा तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राज०

-वादीगण

बनाम

1. किशनलाल आ० जगन्नाथ जाति धाकड हाल निवासी ग्राम सुवानिया तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
1/1. आशाराम गोदपुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम सुवानिया तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
2. रामनिवास आ० जगन्नाथ जाति धाकड हाल निवासी ग्राम सुवानिया तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
3. जग्गजी बेवा शंकर जाति धाकड हाल निवासी ग्राम सुवानिया तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
4. भूमिधारी तहसीलदार साहब नैनवाँ तहसील नैनवाँ जिला।
5. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर महोदय बून्दी।
6. प्रेम बाई पत्नी भैरूलाल जाति धाकड हाल निवासी ग्राम सुवानिया तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
7. ममता गोयल पत्नी राकेश कुमार गोथल जाति महाजन निवासी नैनवाँ जिला बून्दी राज०

--प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53.88,92क,188 आर.टी एक्ट।

उपरिस्थिति:-


वादीगण की ओर से अभिभाषक श्री राजेश कुमार ठाकौर।

प्रतिवादीगण की ओर से अभिभाषक श्री सीताराम नागर एवं श्री देवेन्द्र कुमार जैन।

निर्णय दिनांक 13.02.2024

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि जमाबन्दी सम्वत् 2060 से 2063 पटवार मण्डल नैनवाँ खाता संख्या 82 में भूमि खसरा संख्या 176 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा खसरा संख्या 177 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 में ग्राम सुवानिया पटवार मण्डल सुवानिया तहसील नैनवाँ की खाता संख्या 12 की कृषि भूमि खसरा संख्या 79 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा खसरा संख्या 332/490 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा खसरा संख्या 372 रकबा 9 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा स्थित है। यह कि जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 में ग्राम सुवानिया पटवार मण्डल सुवानिया तहसील नैनवाँ खाता संख्या 115 की कृषि भूमि खसरा संख्या 185 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 में ग्राम सुवानिया पटवार मण्डल सुवानिया तहसील नैनवाँ खाता संख्या 9 की कृषि भूमि खसरा संख्या 198 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा खसरा संख्या 199 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 332 रकबा 6 बिस्वा खसरा संख्या 340 रकबा 14 बिस्वा खसरा संख्या 340/491 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि जमाबन्दी सम्वत् 2060 से 2063 में ग्राम धीरपुर पटवार मण्डल धानुगांव तहसील नैनवाँ खाता संख्या 10 की कृषि भूमि खसरा संख्या 297/1 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि जमाबन्दी सम्वत् 2060 से 2063 में ग्राम धीरपुर पटवार मण्डल धानुगांव तहसील नैनवाँ खाता संख्या 87 की खसरा संख्या 297/2 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 13 बिघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि जमाबन्दी सम्वत् 2060 से 2063 में ग्राम सुवानिया पटवार मण्डल सुवानिया तहसील नैनवाँ खाता संख्या 125 की कृषि भूमि खसरा संख्या 372/489 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है।

न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, नैनवाँ जिला बून्दी के दीवानी वाद संख्या 62/2006 द्वारा प्रारंभित नैनवाँ आशाराम बनाम सोजीलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2024 द्वारा प्रारंभित नैनवाँ किशनलाल के हिस्से के भूमियों का वारिस गोदपुत्र आशाराम को घोषित किया जाकर किशनलाल के स्थान पर आशाराम गोदपुत्र किशनलाल का नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गए। उक्त आदेश के क्रम में इस वाद में प्रतिवादी संख्या 01 किशनलाल के कायम मुकाम के



Handwritten signature or mark.

मे प्रतिवादी संख्या 1/1 आशाराम गोदपुत्र किशनलाल जाति धाकड निवारी ग्राम सुवानिया को
अकार स्वीकार किया गया।
वादीगण तथा प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर निम्नानुसार राजीनामा पेश
किया गया-


"यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में खसरा संख्या 176 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा में
वादीगण कायम मुकाम रामवररूप, लाडवाई एवं प्रतिवादीगण किशनलाल का गोदपुत्र आशाराम व
रामनिवास, ममता गोयल प्रत्येक के हिस्से में 1/4 -1/4 हिस्से में रहेगी उक्त खसरा संख्या में
ममता गोयल जहां अभी वर्तमान में कब्जा काशत है वही पर कब्जा काशत रहेगी एवं खसरा संख्या
177 रकबा 9 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी रामनिवास व किशनलाल के गोदपुत्र आशाराम के हिस्से
में रहेगी। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 79 रकबा 2 बीघा 17
बिस्वा सम्पूर्ण प्रेम बाई के हिस्से में रहेगी एवं खसरा संख्या 372 रकबा 9 बीघा सम्पूर्ण आशाराम जो
किशनलाल का गोदपुत्र है के हिस्से में रहेगी एवं खसरा संख्या 332/490 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा
आशाराम व प्रेम बाई के प्रत्येक के बराबर 1/2-1/2 हिस्से में रहेगी। यह कि वाद पत्र की चरण
संख्या 4 में वर्णित भूमि मे से खसरा संख्या 198 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा संख्या 199
रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि एवं खसरा संख्या 340 रकबा 14 बिस्वा एवं खसरा संख्या 340/491
रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि आशाराम व रामनिवास के बराबर 1/2- 1/2 हिस्से में रहेगी। यह
कि वाद पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 297/1 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा
जिसके नये नम्बर 297 है सम्पूर्ण भूमि आशाराम जो किशनलाल का गोदपुत्र के हिस्से में रहेगी। यह
कि वाद पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित भूमि ग्राम धीरपुर में खसरा संख्या 297/2 जिसे नये
नम्बर 498/297 बने है रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि प्रेम बाई के हिस्से में रहेगी। यह कि
वाद पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित भूमि ग्राम सुवानिया में खसरा संख्या 372/489 रकबा 9 बीघा
5 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि प्रेम बाई के हिस्से में रहेगी। यह कि प्रतिवादीगण ने आशाराम को किशनलाल
का गोदपुत्र मान लिया जो सिविल वाद मे भी स्वीकार कर लिया है। प्रस्तुत वाद मे भी उसको
पक्षकार बना लिया जावे। यह कि वाद व्यय वादी एवं प्रतिवादीगण अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, राजीनामा प्रार्थना पत्र आदि का
ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील उभयपक्षकाराने उपस्थित होकर राजीनामा के आधार पर
वाद डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया। राजीनामा दिनांक 06.02.2024 के अनुसार वादीगण का
वाद डिकी किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा के अनुसार "वाद पत्र की चरण संख्या 1
में खसरा संख्या 176 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा में वादीगण कायम मुकाम रामवररूप, लाडवाई एवं
प्रतिवादीगण किशनलाल का गोदपुत्र आशाराम व रामनिवास, ममता गोयल प्रत्येक के हिस्से में 1/4
-1/4 हिस्से में रहेगी उक्त खसरा संख्या में ममता गोयल जहां अभी वर्तमान में कब्जा काशत है
वही पर कब्जा काशत रहेगी एवं खसरा संख्या 177 रकबा 9 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी
रामनिवास व किशनलाल के गोदपुत्र आशाराम है, के हिस्से में रहेगी। यह कि वाद पत्र की चरण
संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 79 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण प्रेम बाई के हिस्से में
रहेगी एवं खसरा संख्या 372 रकबा 9 बीघा सम्पूर्ण आशाराम जो किशनलाल का गोदपुत्र है के
हिस्से में रहेगी एवं खसरा संख्या 332/490 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा आशाराम व प्रेम बाई के
प्रत्येक के बराबर 1/2-1/2 हिस्से में रहेगी। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित भूमि
मे से खसरा संख्या 198 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा संख्या 199 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा
भूमि एवं खसरा संख्या 340 रकबा 14 बिस्वा एवं खसरा संख्या 340/491 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा
भूमि आशाराम व रामनिवास के बराबर 1/2- 1/2 हिस्से में रहेगी। यह कि वाद पत्र की चरण
संख्या 5 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 297/1 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा जिसके नये नम्बर 297 है
सम्पूर्ण भूमि आशाराम जो किशनलाल का गोदपुत्र है, के हिस्से में रहेगी। यह कि वाद पत्र की चरण
संख्या 6 में वर्णित भूमि ग्राम धीरपुर में खसरा संख्या 297/2 जिसे नये नम्बर 498/297 बने है
रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि प्रेम बाई के हिस्से में रहेगी। यह कि वाद पत्र की चरण
संख्या 7 में वर्णित भूमि ग्राम सुवानिया में खसरा संख्या 372/489 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा सम्पूर्ण
भूमि प्रेम बाई के हिस्से में रहेगी। यह कि प्रतिवादीगण ने आशाराम को किशनलाल का गोदपुत्र मान
लिया जो सिविल वाद मे भी स्वीकार कर लिया है। प्रस्तुत वाद मे भी उसको पक्षकार बना लिया
जावे। यह कि वाद व्यय वादी एवं प्रतिवादीगण अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे" डिकी पर्चा जारी
किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा इस निर्णय एवं डिकी का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय

में सनाया गया।




जिला न्यायाधीश
(नवदौरा, बिहार)

डिक्री व मुकदमें इत्दाई
(आर्डर 20, रूल 6-7 आप्त दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ व इजलास पोस्टरीय अधिकारी- श्री शत्रुघ्न सिंह मुर्ज़ा
1. श्रीजु आठ जगन्नाथ पत्नी गंवरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम सुवानिया तहसील नैनवाँ जिला बून्दी। (मृतक)
1/1 रामस्वरूप आठ गंवरलाल जाति धाकड निवासी बाछेला तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।
1/2. लाड बाई पुत्री श्रीजु पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी कल्याणपुरा तहसील नगरफोर्ट जिला टोक राज०

-वादीगण

बनाम

1. किशनलाल आठ जगन्नाथ जाति धाकड हाल निवासी ग्राम सुवानिया तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
1/1. आशाराम गोदपुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम सुवानिया तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज.
2. रामनिवास आठ जगन्नाथ जाति धाकड हाल निवासी ग्राम सुवानिया तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
3. जग्गजी देवा शंकर जाति धाकड हाल निवासी ग्राम सुवानिया तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
4. भूगिधारी तहसीलदार साहब नैनवाँ तहसील नैनवाँ जिला।
5. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर महोदय बून्दी।
6. प्रेम बाई पत्नी गैरूलाल जाति धाकड हाल निवासी ग्राम सुवानिया तहसील नैनवाँ जिला बून्दी राज०
7. ममता गोयल पत्नी राकेश कुमार गोयल जाति महाजन निवासी नैनवाँ जिला बून्दी राज०

--प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,88,92क,188 आर.टी एक्ट।

वाद संख्या:-62/2006

यह मुकदमा आज वारसे इनफिसाल कर्टई रु-व-रुहगारे..... वहाजरी वादी के अभिभाषक गिनजानिव मुदई व श्री प्रतिवादी के अभिभाषक गिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, हुम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि-

राजीनामा के अनुसार "वाद पत्र की चरण संख्या 1 में खसरा संख्या 176 रकवा 15 बीघा 15 विस्वा में वादीगण कायम मुकाम रामस्वरूप, लाडबाई एवं प्रतिवादीगण किशनलाल का गोदपुत्र आशाराम व रामनिवास, ममता गोयल प्रत्येक के हिस्से में 1/4 -1/4 हिस्से में रहेगी उक्त खसरा संख्या में ममता गोयल जहां अभी वर्तमान में कब्जा काश्त है वही पर कब्जा काश्त रहेगी एवं खसरा संख्या 177 रकवा 9 विस्वा में वादीगण व प्रतिवादी रामनिवास व किशनलाल के गोदपुत्र आशाराम है, के हिस्से में रहेगी। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 79 रकवा 2 बीघा 17 विस्वा सम्पूर्ण प्रेम बाई के हिस्से में रहेगी एवं खसरा संख्या 372 रकवा 9 बीघा सम्पूर्ण आशाराम जो किशनलाल का गोदपुत्र है, के हिस्से में रहेगी एवं खसरा संख्या 332/490 रकवा 3 बीघा 12 विस्वा आशाराम व प्रेम बाई के प्रत्येक के बराबर 1/2-1/2 हिस्से में रहेगी। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित भूमि मे से खसरा संख्या 198 रकवा 4 बीघा 18 विस्वा एवं खसरा संख्या 199 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा भूमि एवं खसरा संख्या 340 रकवा 14 विस्वा एवं खसरा संख्या 340/491 रकवा 3 बीघा 4 विस्वा भूमि आशाराम व रामनिवास के बराबर 1/2- 1/2 हिस्से में रहेगी। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 297/1 रकवा 13 बीघा 18 विस्वा जिसके नये नम्बर 297 है सम्पूर्ण भूमि आशाराम जो किशनलाल का गोदपुत्र है, के हिस्से में रहेगी। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित भूमि ग्राम धीरपुर में खसरा संख्या 297/2 जिसे नये नम्बर 498/297 बने है रकवा 13 बीघा 18 विस्वा सम्पूर्ण भूमि प्रेम बाई के हिस्से में रहेगी। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित भूमि ग्राम सुवानिया में खसरा संख्या 372/489 रकवा 9 बीघा 5 विस्वा सम्पूर्ण भूमि प्रेम बाई के हिस्से में रहेगी। यह कि प्रतिवादीगण ने आशाराम को किशनलाल का गोदपुत्र मान लिया जो सिविल वाद मे भी स्वीकार कर लिया है। प्रस्तुत वाद मे भी उसको पक्षकार बना लिया जावे। यह कि वाद व्यय वादी एवं प्रतिवादीगण अपना-अपना स्वयं वहन करेंगे" डिक्री पर्चा जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजीनामा इस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा।



चीज मुवलिग बावत
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ जिला बून्दी

ना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक
करे।

वसूल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.02.2024 को जारी की गई।



	रूपया	प.	मुदायलाह
स्टाम्प अर्जो दावा			स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जो
स्टाम्प वजह सवूत	-	-	महनताना वकील पर
महनताना वकील			खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर
फीस कमिश्नर			दाबत इजराय हुक्मनामा
दाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक
मुतफरिक			
मीजान	-	-	-

उपखण्ड अधिकारी नैनवां
नैनवां (बूखो)

मुहर



उपखण्ड अधिकारी नैनवां
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूखो)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांक:- सीडर/2024/ 75

दिनांक:- 13/2/24

प्रेषित:-

तहसीलदार
नैनवां।

विषय:- न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु।

वाद/प्रार्थना पत्र संख्या..... 62/डावा/2006

बउनवान..... लीजू..... बनाम..... किशनलाल.....

निर्णय दिनांक..... 13/2/24.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्राथमिक डिक्री/अन्तिम डिक्री/अन्तिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्न:- उक्तानुसार।


उपखण्ड-अधिकारी
उपखण्ड-अधिकारी
नैनवां
बून्दी (बून्दी)